न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/196

पोखर आयु वयस्क आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी चेनपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 13.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, हिण्डोली जिला - बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम भीमगंज की आराजी खसरा नं. 677 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 665 रकबा 08 बीघा कुल रकबा 14 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 90 दिवस (तीन माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2018 के द्वारा अपील खारिज कर दी।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं । उक्त भूमि से अपीलान्ट को भौतिक रूप से कभी बेदखल नहीं किया है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि का नियमन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था । अपीलान्ट अपने परिवार के साथ उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहा है और वह उक्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन करवाने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है लेकिन इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व की बेदखली की फर्द तलब नहीं की है और न ही बेदखली के बाबत् कोई साक्ष्य ली है इसके बावजूद भी अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती मानकर कानूनी भूली की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं । उक्त भूमि से अपीलान्ट को भौतिक रूप से कभी बेदखल नहीं किया है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि का नियमन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था । अपीलान्ट अपने परिवार के साथ उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहा है और वह उक्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन करवाने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी प्रमाणित माना है लेकि अपीलान्ट को मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल करने की बेदखली फर्द पत्रावली में नहीं होने पर भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर अपील खारिज कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि सम्पूर्ण भूमि पर उसका कब्जा नहीं है वरन् कुछ भूमि पर अपीलान्ट का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है और वह उक्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन कराने के अधिकारी हैं । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट ने अपना कब्जा पिछले 50 वर्षो से होना बताया है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से है जिससे वह बेदखली का पात्र है । तहसीलदार हिण्डोली के निर्णय के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है । यही अपीलान्ट स्वयं को नियमन का पात्र मानते हैं तो वे इसको सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13-5-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा